CL – 9/127/2013/ Dir(IS-II)

1060/mm/2013
आर टी आई मामला संबद्ध

P.T.F
04/Dir/18-A
15/ /13

Sl. No. 139

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आइ
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

1433 (F)
17/4

नई दिल्ली, दिनांक: 08/04/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी महीरुद्दीन अंसारी के आवेदन का अंतरण।

*****

मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री /श्रीमती/सुश्री महीरुद्दीन अन्सारी का दिनांक 21/03/2013 का आवेदन .... द्वारा अंतरण से प्राप्त हुआ है (28/03/2013 को प्राप्त)। चूंकि अपेक्षित सूचना निदेशालय एस आई. / मंत्रालय/विभाग से संबंध रखती है / के कार्यों से निकटता से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित करते हुए सूचना सीधे उस प्राधिकारी को अंतरित कर दी जाए।

2. आवेदक ने रसीद संख्या 24271 दिनांक: 02/04/2013 (संलग्न) के माध्यम से शुल्क अदा कर दिया है/~~अदा नहीं किया है क्योंकि ... से नीचे के वर्ग से संबंधित हैं।~~

4/16/4

(श्रीनिवास प्रधान)
उप सचिव (ई) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

JW (MU-I)
US (F)

सेवा में,
(i) अवर सचिव (आर.टी.आई.) (ii) निदेशक (IS-II)
विदेश मंत्रालय
कमरा नं- 2021 A-विंग जवाहरलाल नेहरू भवन,
23-D, जनपथ, नई दिल्ली - 110011.
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:
श्री/श्रीमती/कुमारी महीरुद्दीन अन्सारी
K-54/115 A
दारानगर
वाराणसी - 221001.

15/4/13
S(F)
15/4

(उनसे, मामले में और अधिक सूचना के लिए उपर-उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।)

Immigration Section

Passport is not subject matter of Foreigners Division. Pertains to MEA.

Director
IS-II Division

B.H. Sell
18/4/13
US(F)
(RTI)

SO (RTI) may kindly send it to the concerned CPIO ...

14. Coordination work pertaining to IS Division.

15. Matter relating to Anad Marg

16. Extremists organizations.

17. LTTE Activities -- Ban under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

18. All the work relating to Students Islamic Movement of India (SIMI). This will also involve the issue of declaring SIMI an unlawful association in future under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. However, HR Division will continue to look after the ongoing court cases relating to ban on SIMI.

IS-II Desk

1. Tapping of Telephones under Section 5(2) of the Indian Telegraph Act, 1885.

2. Declaration of Notified Areas other than J&K and North-East under Criminal Law Amendment Act, 1961.

3. Matters relating to impounding/revoking of passports

4) (i) Proscription of books/maps and other literatures published in the country.

   (ii) Prevention of undesirable foreign literature under Section 11 of the Customs Act.

5. Grant of W.T. Licenses etc. – security clearance regarding

6. Security clearance in respect of Indian and NRI Directors for scheduled and non-scheduled air transport service including air taxi and chartering helicopters, opening of flying clubs/flying training institutes etc.

7. Security clearance on various proposals relating to setting up of transponders, up-linking with Indian/Foreign Satellites, F.M. Radio etc.

8. Security clearance for modernization of Airports and Re-development of various Ports.

9. Security clearance for FDI in Print Media, FIPB cases, setting up of units in SEZ.

सरदार जहीरुद्दीन अन्सारी

मो० नं०– 09919767355

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी,

K. 54 115 A, [illegible]

वाराणसी–221001

पत्रांक :–

दिनांक :– 22/03/2012

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय - संयुक्त सचिव,
गृह मंत्रालय भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचनाऐं वांछित है, आवेदन के साथ सूचना शुल्क के रूप मे 10 रु. का पोस्टल आर्डर संलग्न है। 17 ? 566/67

2-1 आपके मंत्रालय को तीन अलग-अलग दिनांक को Speed Post से श्री सईदुद्दीन कदीर द्वारा एक साथ डबल Passport इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था, भेजे हुए पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

2-2 Passport कार्यालय लखनऊ द्वारा 15/02/2011 के पत्र की छायाप्रति को देखते हुए कानपुर पुलिस अधीक्षक को 15/05/2011 को Speed Post द्वारा पत्र भेजा था, जिसकी छायाप्रति संलग्न

2-3 हम लोगो को हज पर ले जाने के लिए रुपया लिया था तथा किसी कारण हज न कराने की स्थिति मे चेक दिया था, चेक बैंक मे जमा करने पर चेक वापस हो गयी थी, तब हमने विदेश मंत्रालय Joint Secretary को लिखा था, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

2-4 मैं आपके मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि सईदुद्दीन कदीर द्वारा डबल Passport से यात्रा करने के संबंध में नियमानुसार क्या कानूनी कारवाई की गयी है और [illegible] SSP कार्यालय ने नियमानुसार क्या कानूनी कारवाही की है।

2-5 विदेश मंत्रालय को भेजे हुए पत्रांक की छायाप्रति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने उनके खिलाफ क्या कानूनी कारवाही की गयी है? आपके मंत्रालय द्वारा सईदुद्दीन कदीर के खिलाफ अब तक की गयी कारवाही के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें।

6 एक संदिग्ध [illegible] होने [illegible] पत्र की छायाप्रति को देखते हुए हमने आपसे देशहित मे यह जानना चाहा है कि क्या हमें नियमानुसार क्या कानूनी कारवाही करना चाहिए?

अतः हम लोग भारतीय संविधान व न्याय पर पूरा-पूरा विश्वास रखते है।

संलग्नक -

1 + 5 [illegible]

प्रार्थी

[illegible]

कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार

जहीरुद्दीन अन्सारी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी,

K. 54/115 A. दारानगर,

वाराणसी–221001

मो0 नं0– 09919707355

17/08/2011
07/10/2011
REMINDER:- 11/08/2012

पत्रांक :–

सेवा में,

माननीय गृह मंत्री जी,
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक,
नई दिल्ली।

व - श्री सईदुद्दीन कदीर द्वारा एक साथ डबल पासपोर्ट का इस्तेमाल करना व फर्जी कागजात लगाकर 10/05/2004 को Haj से वापसी के दौरान Jeddah से पासपोर्ट बनवाने की क्या आवश्यकता पड़ी जोकि भारतीय कानून का खुला उलंघन है।

महोदय,

आप से प्रार्थना है कि सईदुद्दीन कदीर द्वारा एक पासपोर्ट से सऊदी अरबिया (K.S.A.) तथा दूसरे पासपोर्ट से Pakistan की यात्रा करना जिसकी वीजा की छायाप्रति संलग्न है। आप से गुजारिश है कि सईदुद्दीन कदीर द्वारा की जा रही गैर कानूनी यात्रा की तुरन्त जांच कराने व सख्त से सख्त सजा दिलाने का कष्ट करें। संलग्नक पत्रों की छायाप्रति को देखते हुए 15/02/2011 Passport office लखनऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक कानपुर से सीधे सम्पर्क करने के लिए लिखा था। हमने 15/05/2011 को पुलिस अधीक्षक कानपुर को पत्र लिखा। जिसका जवाब आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ।

आप से निवेदन है कि एक सच्चे समाजसेवी होने की वजह से प्रशासित पत्र की छायाप्रति को देखते हुए पासपोर्ट अधीकारी के संलग्न पत्रों के अनुसार अब तक की गयी कार्यवाही से हमें अवगत कराने का कष्ट करें। हम लोग भारतीय संविधान व न्याय पर पूरा विश्वास रखते हैं।

संलग्नक –

+ 6 Pages

प्रार्थी

[signature]

[illegible]lucknow.up.nic.in

तार का पता/Telegram

पास प्रभाग/PASSEM

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

पासपोर्ट कार्यालय

PASSPORT OFFICE

पासपोर्ट आफिस काम्पलेक्स (आर0बी0आई0 के पीछे) विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

Passport Office Complex, (Behind R.B.I.)Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

पत्रांक: पा0का0/लख0/सू0अ0/आर000258/11/एच004607/00/बी[illegible]353/07 दिनाँक : 15/02/2011

सेवा में,

श्री जहीरूद्दीन अंसारी
के 54/115ए,
दारानगर, मैदागिन,
जनपद– वाराणसी (उ0प्र0)।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

प्रिय महोदय,

आपके बगैर शुल्क डाक से प्राप्त एवं कार्यालय में पंजीकृत हुए पत्र दिनाँक 20.01.2011 के विषय में वाँछित सूचना इस प्रकार है–

1. आपके द्वारा श्रीमान जन सूचना अधिकारी कार्यालय संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय (साउथ ब्लाक) नई दिल्ली से सूचना चाही है जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी भेजी गयी है।
2. आपके पत्र में क्रम संख्या एक से नौ तक इस कार्यालय से सम्बन्धित अथवा सामान्यतः उपलब्ध रहने वाली सूचना नहीं है जो आपको उपलब्ध करायी जा सके।
3. क्रम संख्या 10 में वाँछित श्री सईदुद्दीन कादिर की पत्रावली संख्या एच004607/00 पर कार्यालय द्वारा पासपोर्ट सं0 बी2354577 दिनाँक 07.11.2000 से जारी होकर स्पीड पोस्ट से भेजा गया था।
4. आपके द्वारा क्रम संख्या 11 में वाँछित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस विषय में सूचना श्री अब्दुल फैसल अंसारी द्वारा भी चाही गयी थी जो उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग मंत्रालय तथा पुलिस अधीक्षक कानपुर को जारी सहित भेजी गयी थी। (प्रतिलिपि संलग्न)
5. क्रम संख्या 10 के विषय में अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक से संलग्न पत्र पर आप सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। उनकी आख्या प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा संगत नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।
6. क्रम संख्या 13 के विषय में अवगत कराना है कि एक व्यक्ति एक समय में दो वैध पासपोर्ट नियमानुसार नहीं रख सकता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

([illegible] कुमार)
सहायक जनसूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
पुलिस अधीक्षक
कानपुर (उ0प्र0)।

अपीलीय अधिकारी का नाम व पता Shri A. Manickam, Joint Secretary (CPV), Room No 20, Patiala House, Ministry of External Affairs Tilak Marg, New Delhi – 110 001 Fax No: +91-11-23782821, E-mail:jscpv@mea.gov.in
(Appeal against this information decision, if any, may be filed within 30 days from the date of receipt of this letter)

जिन्दाबाद   कांग्रेस पार्टी जिन्दाबाद

सरदार जहीरुद्दीन अन्सारी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी,

K. 54 / 115 A, दारानगर,

वाराणसी–221001

SP VARANASI HO <221001>
EU063387026IN
Counter No:3,OP-Code:GY
To:SSP POLICE,
KANPUR, PIN:208001
From:SARDAR ZAHEERUDDIN , VSI
Wt:42grams,
Amt:25.00 , 25/05/2011 , 13:28
Taxes:Rs.3.00<Track on www.indiapost.gov.in>

पत्रांक :– R.K.01   दिनांक :– 15/5/2011

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक, कानपुर, उ०प्र०।

विषय - सईदद्दुदीन कदीर द्वारा एक साथ Double Passport का इस्तेमाल करना व 10/03/2004 को फर्जी कागजात लगाकर Jeddah (K.S.A.) मे Passport का Reniwal कराना कानून का खुला उल्लंघन है।

महोदय,

आपसे प्रार्थना है कि Passport कार्यालय लखनऊ द्वारा 15/2/2011 का भेजा हुआ पत्र के सन्दर्भ मे एक व्यक्ति एक समय मे दो वैध Passport का इस्तेमाल नियम अनुसार नही रख सकता है। सईदद्दुदीन कदीर ने एक साथ दो वैध Passport का इस्तेमाल करते हुए कानून का खुला उल्लंघन किया है।

सईदद्दुदीन कदीर द्वारा Haj 2004 की वापसी पर 20/06/2004 को Lucknow (India) मे Expiry होने वाला Passport 10/03/2004 को Jeddah (K.S.A.) मे फर्जी कागजात लगाकर कैसे Reniwal कराया था, क्योंकि Haj से वापसी पर Lucknow (India) वापस आना था, इसके बावजूद भी Jeddah (K.S.A.) से फर्जी कागजात लगाकर Reniwal कराने की क्या आवश्यकता पड़ी, एक साथ Double Passport का इस्तेमाल करना एक से सऊदी अरेबिया की यात्रा तथा दूसरे से Pakistan की यात्रा करते हुए भारतीय संविधान-कानून का गम्भीर उल्लंघन किया है। प्रमाण के रूप मे फोटो कापी पत्र के साथ संलग्न है।

आप से निवेदन है कि एक सच्चे समाजसेवी होने की वजह से प्रशस्ति पत्र की छायाप्रति को देखते हुए Passport अधिकारी के संलग्न पत्र के अनुसार अब तक की गयी कार्यवाही से हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

                                                                 भवदीय

संलग्न –
1. प्रशस्ति पत्र जहीरुद्दीन अन्सारी
2. Passport कार्यालय लखनऊ द्वारा भेजा गया पत्रांक - 15/02/2011
3. सईदद्दुदीन के Passport की छायाप्रति –
a) सईदद्दुदीन कदीर द्वारा K.S.A. की यात्रा Passport No – E 2354577
b) सईदद्दुदीन कदीर द्वारा Pakistan की यात्रा Passport No – A0602175

सिंह, भा.पु.से.
m Singh, IPS

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ - 226 001
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
UTTAR PRADESH
1-Tilak Marg, Lucknow - 226 001

प्रशस्ति-पत्र

श्री ज़हीरुद्दीन अंसारी पुत्र स्व0 अब्दुर्रहमान अंसारी निवासी के0 54/115ए, दारानगर, थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े एक सच्चे समाजसेवी हैं । जनपद वाराणसी में शान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने में इन्होंने सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर स्थानीय प्रशासन को सक्रिय योगदान दिया है । काशी में हुए बम विस्फोट काण्ड के दौरान भी घायलों की सेवा करने, धार्मिक उन्माद रोकने और साम्प्रदायिक समरसता बनाये रखने में इनकी महनीय भूमिका रही । अपनी पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन की नियुक्ति अवधि में भी मैंने श्री अंसारी को समाज के हर वर्ग में अच्छी छवि रखने वाले एक धर्मनिर्पेक्ष समाजसेवी के रूप में पाया जो आज भी उसी उत्साह एवं मनोभाव के साथ समाजसेवा के कार्य में सक्रिय हैं ।

मैं श्री अंसारी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

(विक्रम सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

स्थान: लखनऊ
दिनांक: अक्टूबर 07, 2008

आदाब   कांग्रेस पार्टी जिन्दाबाद

जहीरुद्दीन अन्सारी

मो0 नं0– 09919757355

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी,

K. 54 / 115 A, दारानगर,

वाराणसी–221001

पत्रांक :–

दिनांक :– 07/10/2011

REMINDER 07/08/2012

To,
THE JOINT SECRETARY,
(GULF. & HAJ),
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS,
GOVT. OF INDIA, SOUTH BLOCK,
NEW DELHI.

SUBJECT: CHEATED AND MISAPPROPRIATED MONEY ON ASSURANCE OF HAJ BY "M/S AL-AMEEN TOURS & TRAVELS, NAI SARAK, KANPUR (U.P).

DEAR SIR,

WITH THE SUBJECT MENTIONED ABOVE I, THE UNDERSIGNED HEREBY DRAWN YOUR YOUR KIND ATTENTION TOWARDS THE FOLLOWING FACTS :-

1. THAT MR SAEEDUDDIN QADEER IS A PROPRIETOR OF M/S AL-AMEEN TOURS & TRAVELS ESTABLISHED ITS HEAD OFFICE 93/84, SUPER MARKET, SHOP NO. 4, STATION ROAD, NAI SARAK, KANPUR (U.P). AND A CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR HAJ 2009 / 2005. WAS ISSUED BY M.E.A FOR THE PURPOSE AND BEING ENCLOSED PHOTO COPIES OF THE CERTIFICATE.

2. THAT THE FIRM ABOVE NAMED OPENED A BRANCH OFFICE IN THE CITY OF VARANASI IN JULY 2005, AT HOUSE NO. D 28/110 PANDEY HAVELI, VARANASI (U.P) AND UPON HIS ASSURANCE I ALONG WITH MY RELATIVE DEPOSITED MONEY FOR "HAJ" FOR 2005, BUT LATER ON HE CANCELLED PROGRAMME WITHOUT ANY WRITTEN INFORMATION AND ON DEMAND HE PROMISSED TO RETURN THE MONEY.

3. THAT ON REPEATED DEMANDS HE HOWEVER ISSUED A CHEQUE ONLY FOR RUPEES FIVE LAC AND ELEVEN, DATED 06.06.2011 IN MY NAME, BUT THIS CHEQUE COULD NOT BE CASHED DUE TO "INSUFFICIENT FUNDS".

4. THAT INSPITE OF THE INFORMATION GIVEN TO HIM THROUGH NOTICE HE DID NOT CARE TO PAY THE AMOUNT & IS MISAPPROPRIATING THE MONEY, HE ALSO CHANGED THE ADDRESS OF HIS HEAD OFFICE, KANPUR AS PER THE REGISTRATION CERTIFICATE 2005. THE OFFICE OF VARANASI BEEN CLOSED TOO.

5. THAT AL-AMEEN TOURS & TRAVELS WHICH HAS BEEN REGISTERED BY YOUR MINISTRY, IS CHEATING AND MISAPPROPRIATING THE PUBLIC MONEY IN THE NAME OF HAJ.

IT IS PRAYED THAT YOUR HONOUR SHALL BE PLEASED TO LOOK INTO THE MATTER VERY SERIOUSLY AND TAKE NECESSARY ACTION IN THIS REGARD TO SAVE THE INNOCENT PUBLIC FROM BEING CHEATED & MISAPPROPRIATION OF MONEY. THIS SUCH TOUR & TRAVELS COMPANY SHOULD BE BLACK LISTED BY THE MINISTRY, GOVT. OF INDIA.

YOUR'S FAITHFULLY

(ZAHERUDDIN ANSARI)

COPY

RTI Matter

No.II/20034/20/2013-IS-II(Pt.)
Government of India
Ministry of Home Affairs
IS-I Division (IS-II Section)
****

Reply of Sr No. 139

New Delhi, the 04 June, 2013

To

Sardar Zaheruddin Ansari,
K 54/115 A,
Daranagar, Maidagin,
Varanasi (UP).

Subject: Application of Sardar Zaheruddin Ansari under the RTI Act, 2005.

Sir,

Refer your RTI application dated 22.03.2013 received vide MHA OM No.A43020/01/2013-RTI dated 08.04.2013.

2. It is informed that this Division has not received documents/letters referred to in your RTI application.

3. The RTI application is being transferred to Ministry of External Affairs under Section 6(3) of RTI Act to provide desired information directly to you.

4. In case you are not satisfied with the reply, you may prefer an appeal within 30 days from the receipt of this communication to Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (IS-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi who is the appellate authority in this case.

05 JUN 2013

Yours faithfully,

(Rakesh Mittal)
(Director (IS-I)

Issue RTI 5/6/2013

Copy to:

1. MHA (Shri Sriniwas Pradhan-Dy. Sec.(E) & CPIO), North Block, New Delhi with reference to OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 08.04.2013.

2. MHA (Coordination Division) with the reqest to ascertain as to whom the application dated 17.08.2011 and subsequent reminders dated 07.10.2011 and 11.08.2012 has been marked in MHA.

3. Ministry of External Affairs (Under Secretary-RTI), Room No.202/A-Wing, Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi-110001 with the request to expedite the desired information to the applicant.